(35

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संख्याः– 3/आर–1–152/2002/1509 पटना–15, दिनांक– 2/3/15

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– सेवा संवर्गों में आपसी वरीयता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त और प्रकिया ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभागीय पत्रांक 3/आर1–106/72–15784 का० दिनांक 26 अगस्त, 1972 की कंडिका–3 (vi) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त कंडिका के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों की राज्य सेवाओं/संवर्गो में नियुक्ति के फलस्वरूप उनकी वरीयता के निर्धारण के उद्देश्य से यह निर्णय संसूचित किया गया है कि "भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यह माना जायेगा कि वे सैनिक सेवा में अपने कार्यग्रहण के वर्ष के बाद वाले वर्ष में या सेवा के लिए भर्त्ती की न्यूनतम उम्र प्राप्त करने के बाद वाले वर्ष में, इनमें जो बाद में पड़े, भर्त्ती किये गये । किन्तु उनका क्रम उस वर्ष के सामान्य उम्मीदवारों के नीचे होगा, जो वर्ष भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति का वर्ष माना जायेगा । वरीयता के प्रयोजनार्थ किसी खास वर्ष के ऐसे भर्त्ती किये व्यक्तियों का आपसी क्रम उनकी उम्र के अनुसार होगा ।"

2. ज्ञातव्य है कि चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान सेना में भर्त्ती किये गये आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशंड एवं इमरजेंसी कमीशंड व्यक्तियों की सेना की सेवा से वापसी के बाद उनके पुनर्वास हेतु अनुदेश दिये गये थे और इसी क्रम में राज्य सरकार के संकल्प संख्या – III/R1-602/66-A-14631 दिनांक 29.9.1967 के तहत राज्य असैनिक सेवाओं, आरक्षी सेवा एवं अन्य तकनीकी सेवाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी । 1967 के उक्त संकल्प की कंडिका–4 के अंतर्गत उनके लिए वरीयता निर्धारण के सिद्धान्त भी प्रतिपादित कर दिये गये थे । ये सिद्धान्त मात्र इमरजेन्सी में विशेष परिस्थिति में नियुक्त सेना के कर्मियों के लिए ही लागू किया गया था, क्योंकि इस संबंध मं भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या9/26/74–इ०एस०टी०एस० (सी), दिनांक–06.01.75 के अनुसार 01.11.62 से 10.01.68 के बीच सेना में भर्त्ती किये गये तथा ऐसे सैनिकों के लिए

आरक्षित पदों के विरूद्ध नियुक्त व्यक्तियों को ही विशेष वरीयता का लाभ दिया जाना था । उपर्युक्त ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इमरजेन्सी की अवधि में भी सेना में नियुक्त व्यक्तियों की गैर आरक्षित पदों के विरूद्ध नियुक्ति होने पर वरीयता संबंधी लाभ नहीं मिलेगा तथा उन्हें मात्र वेतन का लाभ देय होगा । भारत सरकार द्वारा इस संबंध में Released EC/SSC officers (Reservation of vacancies) Rules, 1971 भी बनायी गयी थी, जो बाद में प्रभावी नहीं रह गयी । इससे स्पष्ट है कि उक्त व्यवस्था सीमित समय के लिए एवं सीमित उद्देश्य से की गयी थी । परन्तु उक्त विशेष परिस्थिति में संकट काल (इमरजेन्सी) में ही नियुक्ति तथा विशेष नियुक्ति के तहत उनके लिए खास आरक्षित पदों के विरूद्ध भूतपूर्व सैनिकों की वरीयता का निर्धारण हेतु निरूपित विशिष्ट प्रावधान को भूलवश 1972 के उक्त परिपत्र में वरीयता के सामान्य सिद्धान्त के तहत उल्लेखित कर दिया गया है । अतः 1972 का उक्त परिपत्र, जो राज्य सेवा संवर्ग में वरीयता निर्धारण के सामान्य सिद्धान्तों के संबंध में है, में भूतपूर्व सैनिकों की वरीयता से संबन्धित प्रावधान पूर्णतः अप्रासंगिक है ।

3. इसके अलावे, 1972 के उक्त परिपत्र के उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में, उनके द्वारा सेना की सेवा और राज्य की सेवा के बीच घर पर बितायी गयी अवधि की भी गणना वरीयता के प्रयोजनार्थ हो जाती है । ऐसे कतिपय दृष्टान्त भी सामने आये हैं, जो वरीयता के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं ।

4. अतः उपर्युक्त पत्रांक 15784 दिनांक 26.08.1972 की कंडिका–3 की उप कंडिका (vi) को, उक्त परिपत्र के निर्गत होने की तिथि दिनांक 26.08.1972 के प्रभाव से ही विलोपित किया जाता है ।

कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(रविकान्त)

सरकार के सचिव ।